

पुनरीक्षित पेंशन पी0पी0ओ0 विवरण

क्रम सं०	पेंशनर का नाम सर्वश्री / श्रीमती	से०नि० पद	कोषागार	पत्रावली सं०	पुनरीक्षित पी0पी0ओ0		कोषागार को प्रेषित	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
1	श्री जय सिंह	सहायक अभियन्ता	गोरखपुर	8356	8532	11.03.19	10004	12.03.19
2	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चन्दर सिंह	सुरक्षा प्रहरी	लखनऊ	9679	2352	31.07.19	1649	02.08.19
3	श्री ईश्वर चंद कोहली	अधीक्षण अभियन्ता	गाजियाबाद	2094	2355	01.08.19	1650	02.08.19
4	श्री उदय भान गुप्ता	सहायक अभियन्ता	मथुरा	11210	2356	01.08.19	1648	02.08.19
5	श्री रजनी कान्त	मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)	लखनऊ	6644	2357	01.08.19	1646	01.08.19
6	कु० रत्ना रानी पाल पुत्री स्व० उमेश चन्द्र पाल	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	6848	2359	01.08.19	1647	02.08.19
7	श्री माधव मार्तण्डराव तारे	उपमहाप्रबन्धक	लखनऊ	9898	2377	02.08.19	1651	02.08.19
8	श्रीमती विमला देवी निगम पत्नी स्व० जी०पी० निगम	मुख्य अभियन्ता	लखनऊ	5905	2387	05.08.19	1652	05.08.19
9	श्री अशोक गोयल	अपर सचिव	लखनऊ	11709	2388	05.08.19	1653	05.08.19
10	श्री विष्णु दत्त शर्मा	सहायक अभियन्ता	बरेली	12048	2401	06.08.19	1655	07.08.19
11	श्री इम्तियाज अहमद अंसारी	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	11644	2402	06.08.19	1654	07.08.19
12	श्रीमती मोहिनी अग्रवाल पत्नी स्व० बाल कृष्ण अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	कानपुर	10548	2409	07.08.19	1656	07.08.19
13	श्री अविनाश चन्द्र सक्सेना	सहायक अभियन्ता	झांसी	11549	2410	07.08.19	1659	09.08.19
14	श्री चन्द्र पाल गुप्ता	मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय	मेरठ	7888	2411	08.08.19	1658	09.08.19

क्रम सं०	पेंशनर का नाम सर्वश्री/ श्रीमती	से०नि० पद	कोषागार	पत्रावली सं०	पुनरीक्षित पी०पी०ओ०		कोषागार को प्रेषित	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
15	श्री शिवचरण प्रसाद	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	9366	2415	08.08.19	1657	09.08.19
16	श्री सतीष नारायण अग्रवाल	उपमहाप्रबन्धक	लखनऊ	8663	2416	08.08.19	1665	16.08.19
17	श्रीमती विमल चन्द्रिका मित्तल पत्नी स्व० भगवान स्वरूप मित्तल	मुख्य अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	4916	2425	13.08.19	1662	14.08.19
18	श्री कमर आलम	लेखाकार	लखनऊ	13776	2433	13.08.19	1661	14.08.19
19	श्रीमती जे०एस० गम्भीर पत्नी स्व० हर स्वरूप	अधिकासी अभियन्ता	उरई	7158	2436	14.08.19	1663	16.08.19
20	श्री राधेश्याम	फैरोब्याय	लखनऊ	13335	2441	16.08.19	1664	16.08.19
21	श्रीमती चन्द्रशीला त्रिपाठी पत्नी स्व० कौशल किशोर त्रिपाठी	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	2059	2453	17.08.19	1666	17.08.19
22	श्री परशुराम	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	13632	2466	19.08.19	1667	19.08.19
23	श्री यश पाल शर्मा	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	6323	2490	22.08.19	1670	22.08.19
24	श्रीमती हंसमुखी देवी पत्नी स्व० भानू प्रकाश गुप्ता	लेखाकार	बुलन्दशहर	6960	2491	22.08.19	1669	22.08.19
25	श्रीमती हुमा बेगम पत्नी स्व० मोहम्मद शमीम	सहायक अभियन्ता	फैजाबाद	9289	2492	22.08.19	1668	22.08.19
26	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा	सहायक अभियन्ता	इलाहाबाद	13563	2495	22.08.19	1671	24.08.19
27	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	10710	2502	24.08.19	1676	27.08.19
28	श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० रामचन्द्र राठौर	लेखाकार	लखनऊ	9245	2503	24.08.19	1675	26.08.19

क्रम सं०	पेंशनर का नाम सर्वश्री/श्रीमती	से०नि० पद	कोषागार	पत्रावली सं०	पुनरीक्षित पी०पी०ओ०		कोषागार को प्रेषित	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
29	श्रीमती रजनी निगम पत्नी स्व० एम०एम०आर० निगम	वरिष्ठ सहायक	लखनऊ	6152	2504	24.08.19	1673	26.08.19
30	श्री मोहन सिंह	वाहन चालक	लखनऊ	9115	2505	24.08.19	1674	26.08.19
31	श्री राम कृष्ण अग्रवाल	अधिशाली अभियन्ता	गाजियाबाद	12750	2506	26.08.19	1672	26.08.19
32	श्रीमती निर्मला मित्तल पत्नी स्व० अमर नाथ	वरिष्ठ लेखाधिकारी	मुजफ्फरनगर	6550	2531	27.08.19	1677	27.08.19
33	श्री धर्मपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	कानपुर	11553	2541	28.08.19	1679	30.08.19
34	श्रीमती बीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० राम बचन लाल	अधिशाली अभियन्ता	बहराईच	9573	2546	28.08.19	1678	28.08.19
35	श्रीमती सरोज खन्ना पत्नी स्व० रतन जी खन्ना	उपमहाप्रबन्धक	लखनऊ	10597	2549	29.08.19	1680	30.08.19
36	श्रीमती मंजू कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व० हरि ओम कुलश्रेष्ठ	वरिष्ठ सहायक अभियन्ता	लखनऊ	9871	2552	30.08.19	1681	31.08.19
37	श्री आत्म प्रसाद उपाध्याय	अनुभाग अधिकारी	लखनऊ	12930	2565	31.08.19	1684	02.09.19
38	श्री अनिल कुमार गुप्ता	अधिशाली अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	13953	2567	02.09.19	1682	02.09.19
39	श्री धनपाल सिंह दिनकर	अधिशाली अभियन्ता	एटा	11442	2568	02.09.19	1685	03.09.19
40	श्री भूधर लाल	माली	लखनऊ	9276	2576	03.09.19	1686	03.09.19
41	श्री सुन्दर लाल	मुख्य अभियन्ता—स्तर द्वितीय	गाजियाबाद	7870	2578	03.09.19	1687	03.09.19

क्रम सं०	पेंशनर का नाम सर्वश्री/श्रीमती	से०नि० पद	कोषागार	पत्रावली सं०	पुनरीक्षित पी०पी०ओ०		कोषागार को प्रेषित	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
42	श्रीमती विमलेश गर्ग पत्नी स्व० ओम प्रकाश गर्ग	उपमहाप्रबन्धक	अलीगढ़	9970	2579	03.09.19	1688	03.09.19
43	श्री राकेश कुमार बंसल	सहायक लेखाधिकारी	मेरठ	12875	2582	03.09.19	1689	03.09.19
44	श्री उरेन्द्र कुमार अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता-स्तर प्रथम	आगरा	6654	2583	03.09.19	1690	03.09.19
45	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता	गाजियाबाद	8186	2600	06.09.19	1692	12.09.19
46	श्री पवन कुमार	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	गाजियाबाद	8306	2631	11.09.19	1693	13.09.19
47	श्री राशिद	सहायक अभियन्ता	गाजीपुर	11820	2635	12.09.19	1694	13.09.19
48	श्री विजय पाल सिंह	अधिशाली अभियन्ता	गाजियाबाद	11975	2642	13.09.19	1695	16.09.19
49	श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० रामचन्द्र राठौर	लेखाकार	लखनऊ	9245	2646	17.09.19	1696	18.09.19
50	श्री सत्येन्द्र कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	उत्तराखण्ड	8537	2662	20.09.19	1698	20.09.19
51	श्री रवि कुमार सिंघल	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	11954	2661	20.09.19	1697	20.09.19
52	श्री राम देव गुप्ता	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	8588	2666	20.09.19	1700	21.09.19
53	श्री युगल किशोर सिंह	महाप्रबन्धक	वाराणसी	10428	2668	20.09.19	1699	21.09.19
54	श्री लक्ष्मी नारायण	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	13265	2676	21.09.19	1701	23.09.19
55	श्री राम विनय मिश्रा	सहायक अभियन्ता	जौनपुर	13344	2677	21.09.19	1702	24.09.19
56	श्रीमती शशि सक्सेना पत्नी स्व० रंजन सक्सेना	अधीक्षण अभियन्ता	मेरठ	13277	2691	24.09.19	1703	24.09.19

क्रम सं०	पेंशनर का नाम सर्वश्री/श्रीमती	से०नि० पद	कोषागार	पत्रावली सं०	पुनरीक्षित पी०पी०ओ०		कोषागार को प्रेषित	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
57	श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी स्व० राघव प्रसाद सिंह	अधिशाली अभियन्ता	वाराणसी	12037	2696	24.09.19	1706	27.09.19
58	श्री ओम प्रकाश कम्बोज	सहायक अभियन्ता	कार्याल वेतन एवं लेखा उत्तराखण्ड द्वारा कार्यालय रेजीडेंट कमिश्नर प्लॉट नं० 9 कोटला रोड द्वितीय तल, राउज ऐवन्यू महालेखाकार भवन के पीछे न्यू दिल्ली-110002	8021	2697	25.09.19	1705	27.09.19
59	श्रीमती जहान आरा बेगम पत्नी स्व० फजलुल हक	सहायक लेखाधिकारी	गोरखपुर	7492	2698	25.09.19	1704	25.09.19
60	श्री अजय कुमा त्रिपाठी	अधिशाली अभियन्ता	लखनऊ	11728	2700	26.09.19	1707	28.09.19
61	श्री उमेश नारायण तिवारी	सहायक लेखाधिकारी	लखनऊ	14165	2704	26.09.19	1708	28.09.19
62	श्री अशोक कुमार भाटिया	सहायक अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	11449	2707	26.09.19	1709	28.09.19
63	श्रीमती चन्द्रा बेगम पत्नी स्व० मंजूर हसन खान	अधिशाली अभियन्ता	लखनऊ	11283	2708	26.09.19	1710	28.09.19
64	श्री सुरेश चन्द्र रस्तोगी	अधीक्षण अभियन्ता	लखनऊ	7887	2713	28.09.19	1711	28.09.19



(विमलेश कुमार)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार (पेंशन)
सं. १०, पंचम फ्लोर, लखनऊ
दि. १०.१०.१९



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो शक्ति का उपग्रह)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION NO. 0322011UP1999SC0924828



पत्र सं०

8532

8356

1999-2000

उपग्रो/

दिनांक-11.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	1080 दिनांक 25.07.2000
(ग)	जन्मतिथि	30.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-87000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 19100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23150
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 135000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 87500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(अ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8532

8356

1999-2000

उपग्रो/

दिनांक-11.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री जय सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-102/683, राय कालोनी, पोस्ट-मोहददीपुर, रानीडीह, गोरखपुर-273008

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक 10004 दिनांक-12.03.2019 के साथै सम्पक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाकरणलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

9679

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 31.07.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चन्दर सिंह	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	सुस्था प्रहरी	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2369	दिनांक	25.09.2003
(ग) जन्मतिथि			01.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती लक्ष्मी देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.08.1957
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2003/02.11.2014
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			5300-8600/9300-34800 (4200)
(घ) वेतन		₹	8500
(ङ) मूल पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	4407
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			54 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2016 के अनुसार)			06 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	42,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	12780
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2352

9679

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़, को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस कार्यालय द्वारा नुटिवश आपके कार्यालय को प्रेषित श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चन्दर सिंह सेवानिवृत्त एवं दिवंगत सुस्था प्रहरी के पुनरीक्षित पी०पी०ओ० सं० 259 दिनांक 05.04.2019 के अन्तर्गत कोई भी भुगतान न किया जाए एवं उक्त पुनरीक्षित पी०पी०ओ० को निरस्त माना जाये।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व० चन्दर सिंह, सेवानिवृत्त सुस्था प्रहरी, पता:-87 बसिष्ठ विहार कालोनी खरगापुर, राम आसरे का पुरवा, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी लखनऊ आदर्श, कोषागार को प्रेषितपत्रांक 1649 दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरें।

02-08-19

4. अधिशासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U33201UP1999SGC024928



पत्र सं०

2094

78-79

उपग्रो/

दिनांक- ०१.०८.२०१९

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

ईश्वर चंद कोहली

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	2046 दिनांक 09.12.1982
(ग)	जन्मतिथि	17.03.1922
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1980
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	तृतीय वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 48590
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23927
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23927
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 63584
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 16.03.18 तक 40प्रतिशत अतिरिक्त 26220 तदुपरान्त 32775

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2010 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2355

2094

78-79

उपग्रो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री ईश्वर चंद कोहली, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता म०न० 90, सेक्टर-14, फरीदाबाद गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 1650 दिनांक 02-06-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाओलि०, राफिा भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०
कोषागार, गाजियाबाद



आयुक्त, कोषागार, मथुरा

आयुक्त, कोषागार, मथुरा

आयुक्त, कोषागार, मथुरा

आयुक्त, कोषागार, मथुरा



पत्र सं० 11210 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 01.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उदय मान गुप्ता	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3999	दिनांक	22.05.2007
(ग) जन्मतिथि			02.08.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			अंकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000(8900)
(घ) वेतन	₹		56670
(ङ) मूल पेंशन	₹		28435
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6859
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21576
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,47,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		73800
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		73800
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		6859
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		66941
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2356 11210 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।

2. श्री उदय मान गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- 8, दुर्गापुरी राधिका बिहार, सोख रोड, मथुरा बांगर, मथुरा, उ०प्र०-281004

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषितपत्रांक 1648 दिनांक 02-08-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक 02-08-19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6644

91-92

उ०प्र०/

दिनांक- ०१.०८.२०१९

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रजनी कान्त

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्टार-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8652	दिनांक 16.11.1991
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1933
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विजय कान्त
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		17.10.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1991
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500 / 7900-63000-78000	
(घ)	वेतन	₹	7900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	37800
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(ध)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संझान न लिया जायै	₹	90900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54440
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से 20प्रति० अतिरिक्त 18180 तदुपरान्त दि० 04.07.18 से 30प्रति० अतिरिक्त 27270

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ध)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2357

6644

91-92

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री रजनी कान्त, मुख्य अभियन्ता (स्टार-1) सेवानिवृत्त, पता सी-33, रो०-पी०, अलीगंज, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रों 1646 दिनांक 01-08-19 के अन्तर्गत सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6848

92-93

उ०म०प्र०/

दिनांक- ०१.०८.२०१९

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

कु० रत्ना रानी पाल पुत्री स्व० उमेश चन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8980 दिनांक 20.08.1992
(ग)	जन्मतिथि	02.12.1933
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	कु० रत्ना रानी पाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.01.1964
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1991/23.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200/15600-39100 ग्रेड पे 6800
(घ)	वेतन	₹ 4625
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7923
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 83,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2359

6848

92-93

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 कु० रत्ना रानी पाल पुत्री स्व० उमेश चन्द्र पाल, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता एम०डी० 28ए, सेक्टर-डी एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-228012

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 1647 दिनांक 02-08-19 के सापेक्ष सम्पर्क

3

अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ (पेंशन)



श्री मध्य मार्तण्डराव तारे
सेवानिवृत्त/दिवंगत
उपमहाप्रबन्धक



पत्र सं०

9898

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- ०२.०८.२०१९

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मध्य मार्तण्डराव तारे	सेवानिवृत्त/दिवंगत	उपमहाप्रबन्धक	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या		2735 दिनांक	24.08.2004
(ग) जन्मतिथि			24.07.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शैलजा तारे
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08.02.1951
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-87000 ग्रेड पे 10000
(घ) वेतन		₹	22400
(ङ) मूल पेंशन		₹	28099
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	6095
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	20004
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	15659
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			65 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,62,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	81150
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	79921
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	72100
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	79921
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		₹	79921
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	6095
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	73826/-दि० 30.09.2019 तक, तदुपरान्त दि० 01.01.2019 से राशिकरण पुर्नस्थापित होने के फलस्वरूप ₹ 79921/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	48690
(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2377

9898

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री मध्य मार्तण्डराव तारे, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता :- द्वारा श्री प्रवीण मल्होत्रा, 32127, विनयखण्ड, विधायकपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषितपत्रांक 1651 दिनांक ०२-०८-१९ के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०



पत्र सं० 5905 1985-1986 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 05-08-19

कोषाधिकारी, कोषागार
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमला देवी निगम पत्नी स्व० जी०पी० निगम	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	मुख्य अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	35	दिनांक	25.01.1996
(ग) जन्मतिथि			04.10.1927
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती विमला देवी निगम
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			30.12.1933
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.1985/27.12.1995
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			तृतीय वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ) वेतन		₹	54700
(ङ) मूल पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	(20 प्रतिशत सहित) ₹ 19692/-
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			लागू नहीं
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,44,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण साम्य पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	43260
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	(85 वर्ष पूर्ण होने पर) ₹ 8652/- दि० 01.01.2016 से दि० 29.12.2018 तक तदुपरान्त ₹ 12978/- प्र०म० दि० 30.12.2018 से अग्रतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ख)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2387 5905 1985-1986 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती विमला देवी निगम पत्नी स्व० जी०पी० निगम, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता :- सी-2217, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226018,

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषितपत्रांक 1652 दिनांक 05-08-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

पेंशन PENSION CN 05220102199330024928



पत्र सं०

11709

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक- ०५.०८.२०१९

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 2223 दिनांक 12.07.2019 को संशोधित करते हुये निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक गोयल

सेवानिवृत्त

अपर सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओआर संख्या	5646	दिनांक 31.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		16.06.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्द्रा गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.06.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	62640
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31230
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12492
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18738
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18738
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12492
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68658
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2388

11709

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2

श्री अशोक गोयल, सेवानिवृत्त अपर सचिव, पता 1/243, विकास नगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 1653 दिनांक 05-08-19 के सापेक्ष सम्पर्क

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

12048

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 06.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु दत्त शर्मा	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिदर्वता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	4952	दिनांक	17.07.2010
(ग) जन्मतिथि			01.02.1950
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सचेत शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.07.1956
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2010
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ) वेतन		₹	62160
(ङ) मूल पेंशन		₹	31080
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	10022
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	21058
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	18648
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,61,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	80650
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)		₹	80650
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	10022
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	70628
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	48390
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2401

12048

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2 श्री विष्णु दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :-1522/2 अक्कपुरी, सुभाष नगर, बरेली।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषितपत्रांक 1655 दिनांक 07.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता वेबसाइट उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति मन्त्र, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति मन्त्र, लखनऊ



पत्र सं०

11644

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 06.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री इम्तियाज अहमद अंसारी

सेवानिवृत्त/
दिवंगतअधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4605 दिनांक 05.10.2009
(ग)	जन्मतिथि	14.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नसरीन अंसारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.07.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 71720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2402

11644

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1/ अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- 2 श्री इम्तियाज अहमद अंसारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- तारनपुर इस्लामपुर, निकट-म०न०-416 लोको कालोनी, मुगलसराय, जिला-चन्दौली यू०पी०-232101, को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषितपत्रांक 1654 दिनांक 07.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



भारत सरकार
कानपुर
श्रीमती मोहिनी अग्रवाल पत्नी स्व. बाल कृष्ण अग्रवाल



पत्र सं० 10548 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- ०७.०८.२०१९

कोषाधिकारी, कोषागार

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मोहिनी अग्रवाल पत्नी स्व. बाल कृष्ण अग्रवाल सेवानिवृत्त/ दिवंगत सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3586	दिनांक	27.05.2006
(ग)	जन्मतिथि			10.01.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मोहिनी अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			06.10.2004 (मृत्यु)
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		18900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2409 10548 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणींचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर,कानपुर।
- श्रीमती मोहिनी अग्रवाल पत्नी स्व. बाल कृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट सं०-एसी-2 आवास विकास कल्याणपुर मार्ग, कानपुर।
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषितपत्रांक 1656 दिनांक ०७.०८-१९ के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरें।

3 अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेषाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11549

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- १.८.१९

कोषाधिकारी, कोषागार

झाँसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अविनाश चन्द्र सक्सेना	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4509	दिनांक 30.07.2009
(ग)	जन्मतिथि		19.02.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कल्पना सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.01.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/ दिवंगत तिथि		28.02.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68576
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2410

11549

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, झाँसी।

2 श्री अविनाश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-डी०एल-4 वीरगंगा नगर, बी०एस०एन०एल, एक्सचेंज के मेडिकल कालेज, झाँसी-284128,

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार झाँसी को प्रेषितपत्रांक 1659 दिनांक 09-08-19 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज्ञ
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन
लखनऊ



पत्र सं०

7888

1998-1999

उ०प्र०प्र०/

दिनांक- ०८.०८.२०१९

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्र पाल गुप्ता

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	557	दिनांक	11.11.98	
(ग)	जन्मतिथि				01.10.40
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती चन्द्रकांता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				11.09.45
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.09.98
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-(10000)	
(घ)	वेतन	₹			21400
(ङ)	मूल पेंशन	₹			27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			153000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन				लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹			76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2411

7888

1998-1999

उ०प्र०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2 श्री चन्द्र पाल गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-जी-111, जी-ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ-250004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 1658 दिनांक-03.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प्र०प्र०/लि०, राशिकृत, तखनक।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
राशिकृत, तखनक



पत्र सं०

9366

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- ०८.०८.२०१९

कोषाधिकारी, कोषागार

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिवचरण प्रसाद

सेवानिवृत्त/
दिवंगत

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2124 दिनांक 18.01.2003
(ग)	जन्मतिथि	28.08.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती लालती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.05.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 17178
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040 (पुनर्स्थापित दि० 16.04.2018)
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 14136
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10306
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040 (पुनर्स्थापित दि० 16.04.2018)
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹ 66510/-दि० 01.01.2016 से दि० 15.04.2018 तक तदुपरान्त ₹ 69550/-प्र०म०
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2415

9366

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
2. श्री शिवचरण प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-गोंधी नगर, गोंधी हाईस्कूल के पीछे झूमरी तिलैया, जिला-कोडरमा, (झारखण्ड)
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषितपत्रांक 1657 दिनांक 09-08-19 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

8663

2000-01

उ०म०प्र०/

दिनांक- ०८.०८.२०१९

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीष नारायण अग्रवाल

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	6772	दिनांक 08.05.2015
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		डा० कुसुम लता अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.03.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹	21400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(10प्रति० दण्ड के उपरान्त) 24815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3753
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20862
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(10प्रति० दण्ड के उपरान्त) 88850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3753
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	85097
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2416

8663

2000-01

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री सतीष नारायण अग्रवाल, उपमहाप्रबन्धक सेवानिवृत्त, पता 3/21 विजयन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 1665 दिनांक 16.8.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



30प्र0

संशोधन विभाग

पेंशन

पत्र सं०

4916

1984-1985

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 13.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 16.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमल चन्द्रिका गित्तल पत्नी स्व० भगवान् स्वरूप गित्तल	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	मुख्य अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या		675	दिनांक 01.05.1999
(ग) जन्मतिथि			08.07.1926
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती विमल चन्द्रिका गित्तल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			17.03.1932
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1984/08.01.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड)			6700-7500/22400-24500/67000-79000
(घ) वेतन	₹		6900
(ङ) मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का शशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		(80 वर्ष पूर्णता के अनुसार) (24120) (20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			लागू नहीं
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-44 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			15 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,71,400
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से कम निकले हुए वेतन पर निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान रखा जाएगा	₹		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51420
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		(85 वर्ष दिनांक 17.03.2017 को पूर्ण होने के अनुसार) (20 प्रतिशत ₹ 10284/-प्र०म० दिनांक 01.01.18 से दि० 16.03.17 तदुपरांत 30 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 15426/-प्र०म० दि० 17.03.17 से अग्रेतर)

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपभुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2425

4916

1984-1985

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पत्रार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 कोषाधिकारी, आर्ष कोषागार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस कार्यालय द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र सं० 7766 दिनांक 25.02.19 के अन्तर्गत कोई भी भुगतान न किया जाये।

2 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण विभाग, प्रथम पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

3 श्रीमती विमल चन्द्रिका गित्तल पत्नी स्व० भगवान् स्वरूप गित्तल सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-टी 7/802, पार्श्वनाथ प्रेसटिज-द्वितीय सेक्टर- 93ए, नोएडा-201304.

को इस आशय से प्रेषित कि उपस्थापित कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषितपत्रांक 1662 दिनांक 14.8.19 के सापेक्ष सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त करें।

4 अधिशासी अभियन्ता, वेतनसाइट, उ०म०प्र०/ग०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

13776

2015-2016

उ०प्र०/

दिनांक- 13.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

कारपोरेशन नसरीन नगर, पंजाब, भारत सरकार, कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ।
विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 16.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कमर आलम

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6810	दिनांक 15.07.2015
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नसरीन आलम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100(5400) दि० 14.01.2018 तक 15600-39100(6600) दि० 15.01.2018 से लागू
(घ)	वेतन	₹	33180/-दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त 34500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	16590/-दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त 17250/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9954/- दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त 10614/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका सं०-10 दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त तालिका सं०-11 लागू
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	87400/-दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त 91100/-
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	43700/- दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त 45550/-
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	43700/- दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त 45550/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	37064/- दि० 14.01.2018 तक तदुपरान्त 38914
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	45550/- दि० 30.06.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	27330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 20.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2433

13776

2015-2016

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री कमर आलम, सेवानिवृत्त, लेखाकार, पता-म०न०-529-डी-2/79, बसन्त विहार कल्याणपुर, निकट राम धर्म कौटा रिंग रोड, लखनऊ-228022

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 166 दिनांक-14.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर
मुगतान प्राप्त करें। कोषागार, लखनऊ।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ (पेंशन)



पत्र सं०

7158

1993-1994

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 14.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

उरई

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जे०एस० गम्भीर पत्नी स्व० हर स्वरूप		सेवानिवृत्त/ दिवंगत		अधिशाली अभियन्ता		का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण							
(क)	पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या			1437	दिनांक	30.05.2001	
(ग)	जन्मतिथि			05.01.1939			
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती जे०एस० गम्भीर			
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			05.01.1939			
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			14.08.1979			
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			तृतीय वेतनमान			
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			15600-39100 (6600)			
(घ)	वेतन			₹	27020		
(ङ)	मूल पेंशन			₹	लागू नहीं		
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग			₹	लागू नहीं		
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			₹	लागू नहीं		
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं			
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			₹	3500		
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			लागू नहीं			
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-						
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			11 तालिका सं०			
(ख)	निर्धारित वेतन			₹	69,700		
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन						
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			₹	लागू नहीं		
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			₹	लागू नहीं		
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			₹	लागू नहीं		
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			₹	लागू नहीं		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)			₹	लागू नहीं		
(ङ)	राशिकृत पेंशन			₹	लागू नहीं		
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें			₹	लागू नहीं		
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			₹	लागू नहीं		
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			₹	20910		
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			₹ दि० 05.01.2019 से 20 प्रतिशत रु० 4182/-			

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2019 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2436

7158

1993-1994

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, उरई (जालौन)।

2 श्रीमती जे०एस० गम्भीर पत्नी स्व० हर स्वरूप सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-राएदोपुर ऑफिस कालोनी, आजमगढ़, उ०प्र०-278001,

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार उरई को प्रेषितपत्रांक 1663 दिनांक 16.8.19 के सापेक्ष स्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
 २५० प्र० पा० का० लि०
 शक्ति-लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

13335

2013-2014

उ०म०प्र०/

दिनांक:

16.08.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधेश्याम

सेवानिवृत्त

फैरोब्याय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6830	दिनांक 07-08-2015
(ग)	जन्मतिथि		24.08.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	20,760
(ङ)	मूल पेंशन	₹	5 प्रतिशत दण्ड के बाद ₹ 9861/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3944
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	5917
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाही
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)		06 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	54000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	27000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	5 प्रतिशत दण्ड के बाद ₹ 25650/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3944
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	21706
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2441

13335

2013-2014

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री राधेश्याम सेवानिवृत्त फैरोब्याय, पता-588/33 जय प्रकाश नगर, बाईट कॉन्वेंट के सामने, आलमबाग, लखनऊ।
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार आदर्श कोषागार को प्रेषित पत्रांक 1661 दिनांक 16.8.19 के आदेश सं०-1320 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 1661 दिनांक 16.8.19 के आदेश सं०-1320 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करें।
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

2059

1978-1979

उ०म०प्र०/

दिनांक: 17.08.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती चन्द्रशीला त्रिपाठी पत्नी स्व०

सेवानिवृत्त

अधिरासी

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

कौशल किशोर त्रिपाठी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8630 दिनांक 15-10-1991
(ग)	जन्मतिथि	01.06.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रशीला त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1937
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1977
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	तृतीय वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	1000-1680 / 1225-1905 / 3400-4250 / 15600-39100(6600)
(घ)	वेतन	₹ 1,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5798
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 69700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 20910
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत 4182 दिनांक 01.01.2017 से अग्रेतर

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

Accounts Officer

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2453

2059

1978-1979

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-226001

2. श्रीमती चन्द्रशीला त्रिपाठी पत्नी स्व० कौशल किशोर त्रिपाठी, अधिरासी अभियन्ता, पता- 31 खुरसीद बाग, राजेन्द्र नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226004।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार आदर्श कोषागार को प्रेषित पत्रांक 666 दिनांक 17.8.19 के साथै सम्पत्ति

3. अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो पावर का समूह)

Uparao Power Corporation Limited

पत्र सं०

13632

14-15

उपग्रो/

दिनांक- 19.08.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 3104 दिनांक 05.10.2018 को संशोधित करते हुये निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री परशुराम

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	6671	दिनांक 20.12.2014
(ग)	जन्मतिथि		11.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	34140
(ङ)	मूल पेंशन	₹	17070
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6828
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	10242
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10242
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	90,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	45000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	45000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6828
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	38172
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	45000 दि० 10.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	27000
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2466

13632

14-15

उपग्रो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2

श्री परशुराम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता सी-11, सेक्टर-सी, अलीगंज स्कीम, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 1667 दिनांक 19.08.2018 के सम्बन्ध में

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 6323 1988-1989 उ०म०प्र०/ दिनांक: 22-8-19

कोषाधिकारी,
कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री यश पाल शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7099	दिनांक	16-03-1990
(ग)	जन्मतिथि			20.04.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			3400-4750/10850-15200/15600-39100 ग्रेड पे 6800
(घ)	वेतन	₹		4,375
(ङ)	मूल पेंशन	₹		20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित ₹ 16130/-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			61 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		80900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		40450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		37386
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		33850
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		37386
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		37386/- लाभप्रद (01.01.2018 से 19.04.2018 तक)
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 85 वर्ष पूर्ण (दिनांक 20.04.2018)	₹		(20 प्रतिशत अतिरिक्त) = ₹ 7478/- प्र०म० दि० 01.01.2018 से 19.04.2018 तक (30 प्रतिशत अतिरिक्त) = ₹ 11216/- दि० 20.04.2018 से। (37386X30%)

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-30 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2490 6323 1988-1989 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
- श्रीमती यश पाल शर्मा सहायक अभियन्ता, पता- मकान नं० 29, बुध राय कालोनी गॉल राड नियर, इन्कम टैक्स ऑफिस होसियारपुर पंजाब, होसियारपुर।
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कोषागार को प्रेषित पत्रांक 1670 दिनांक 22-8-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। गाजियाबाद

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, राकित भवन, लखनऊ।

उ० प्र० प० म० लि०
श्री 20 लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

6960

1992-1993

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 22-8-19

कोषाधिकारी, कोषागार

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती हंसमुखी देवी पत्नी स्व० मानू प्रकाश गुप्ता सेवानिवृत्त/ दिवंगत लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9206	दिनांक	01.03.1993
(ग)	जन्मतिथि			08.01.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती हंसमुखी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.01.1935
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.1990/08.09.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			1650-2690/5300-8600/(9300-34800)+4200
(घ)	वेतन	₹		2315
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		₹ 3579+20 प्रतिशत अतिरिक्त
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			लागू नहीं

3. दिनांक 81.81.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		06 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	49,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 81.81.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 81.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	0
(घ)	दिनांक 81.01.2816 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	14820
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	80 वर्ष (दि० 15.81.2015) ₹ 2964/-प्र०मा०

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 81.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 81.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.87.2019 में प्राकथानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2491

6960

1992-1993

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमील विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।
- श्रीमती हंसमुखी देवी पत्नी स्व० मानू प्रकाश गुप्ता सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-निवासी 161-देवीपुरा-द्वितीय, कृष्णा नगर, बुलन्दशहर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

बुलन्दशहर

को प्रेषितपत्रांक 1669 दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क

22-8-19

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० का त्तो

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

9289

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- २२-८-१९

कोषाधिकारी, कोषागार

फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती हुमा बेगम फली स्व० मोहम्मद शमीम सेवानिवृत्त/ दिवंगत सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2615	दिनांक	11.10.2004
(ग)	जन्मतिथि			लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती हुमा बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			17.05.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2002/05.10.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			16400-20000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		20000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निश्चयन :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2492

9289

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद।

2. श्रीमती हुमा बेगम फली स्व० मोहम्मद शमीम, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता:-9/1/155, ऋषि टोला, फैजाबाद, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, 224001.

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषितपत्रांक 1668 दिनांक 22-8-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/कार०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



दिनांक- २२-०९-१९

[illegible]

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
प्रसाद मिश्रा

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनआदेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक—

अधिरासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, ३०७० पावर कारपोरेशन लि०, ५७-जार्ज टाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 671 दिनांक-24.08-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
(इलाहाबाद)

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, जगप्रपणकालि, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखार्थीयवरी (पेंसल)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

substantive



पत्र सं० 10710 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 24.08.2019
कोषाधिकारी, कोषागार
प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2016 के अन्तर्गत

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पीपीओओ संख्या	3464	दिनांक	10.03.2006
(ग) जन्मतिथि			22.02.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			अकित नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			29.02.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			16400-20000 (6900)
(घ) वेतन		₹	20000
(ङ) मूल पेंशन		₹	24295
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	3040
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	21255
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स क्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2016 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)		₹	69550
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	3040
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	66510
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2502 10710 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-90ए/8 बी०, बाघम्बरी गद्दी, अल्लाहपुर, प्रयागराज।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

प्रयागराज

को प्रेषितपत्रांक 1676 दिनांक 27.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

9245

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 24.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० राम चन्द्र राठौर सेवानिवृत्त/ दिवंगत लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2088	दिनांक 19.12.2002
(ग)	जन्मतिथि		अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कालिन्दी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2002/30.11.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹	12275
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	7849
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2503

9245

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० रामचन्द्र राठौर सेवानिवृत्त लेखाकार पता-एस०एस० 1/483 से०ए, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, बेहटा, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी लखनऊ आदर्श, कोषागार को प्रेषितपत्रांक 1675 दिनांक 26-08-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। 26.08.19

3 अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० पावर कारपोरेशन लि०

अवध भवन, लखनऊ



संयुक्त राज्य भारत सरकार

पत्र सं०

8152

87-88

उ०प्र०/

दिनांक- 24.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रजनी निगम पत्नी स्व०
एम०एम०आर० निगम

सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9618

दिनांक

21.04.1994

(ग) जन्मतिथि

लागू नहीं

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रजनी निगम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

04.07.1935

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

20.11.2009

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चतुर्थ वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

1650-2690/9300-34800 ग्रेड पे 4200

(घ) वेतन

₹

2000

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

3500

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

0

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

8 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

43,900

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(क) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

13170

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

01.01.08 से 20प्रति० अतिरिक्त 2834

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2019 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2504

8152

87-88

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती रजनी निगम पत्नी स्व० एम०एम०आर० निगम, दिवंगत वरिष्ठ सहायक, पता सी-187, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 1613 दिनांक 26.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० निगम (पेंशन वि०)

आदेश सं० 2504 दिनांक 26.08.19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो पावर का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

पत्र सं०

9115

01-02

उपग्रो/

दिनांक- 24.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहन सिंह

सेवानिवृत्त

वाहन चालक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	1776	दिनांक 04.04.2002
(ग)	जन्मतिथि		10.11.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500/9300-34800	ग्रेड पे 5400/6600
(घ)	वेतन	₹	10200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	4837
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	1709
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	2928
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		80 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	9 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	63,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	31650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	28773
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	26550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	28773
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	1709
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	27084 दि० 12.06.2017 तक तदुपरान्त 28773 अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 2505

9115

01-02

उपग्रो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री मोहन सिंह, सेवानिवृत्त वाहन चालक, पता द्वारा कैप्टन रामेश्वर साही, 84 सी. सरोजनी नगर, लखनऊ 228008

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 1674 दिनांक 26.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विप्लव कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



भारत सरकार की (उपस्थिति)
(In the presence of)
अधिकांश अधिकारी (अधिकांश)
अधिकांश अधिकारी (अधिकांश)
अधिकांश अधिकारी (अधिकांश)

पत्र सं०

12750

2011-2012

उपमोप्र० /

दिनांक-26.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम कृष्ण अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधिकांश
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता	
(क) पेंशन का प्रकार		
(ख) पीपीओओ संख्या	8357	दिनांक 05.02.2014
(ग) जन्मतिथि		20.04.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अनीता अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		26.06.1959
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-87000 (10000)
(घ) वेतन	₹	78100
(ङ) मूल पेंशन	₹	38050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15220
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22830
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	15220
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84580
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2506

12750

2011-2012

उपमोप्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांश अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्री राम कृष्ण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधिकांश अभियन्ता, पता थर्ड ए०/68, रचना सेक्टर-3, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 1672 दिनांक 26.08.19 के सापेक्ष सम्यक

3

अधिकांश अभियन्ता, वेबसाइट, उपमोप्र० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनेन्द्र कुमार (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपमो प्र० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०	0	6550	90-91	उ०प्र०/ दिनांक	दिनांक	27. 08. 2019
कोषागार	इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र संख्या 8221 दिनांक 07.03.2019					
मुजफ्फरनगर	को संशोधित करते हुए निर्गत					

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती निर्मला मित्तल पत्नी स्व० अमर नाथ वरिष्ठ लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				वरिष्ठ लेखाधिकारी	
(क)	पेंशन का प्रकार			1034	दिनांक
(ख)	पीपीओ संख्या			06.06.2000	
(ग)	जन्मतिथि			अंकित नहीं	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निर्मला मित्तल	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं	
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1990/03.06.2011	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			3400-4750/10650-15200 (15600-39100 ग्रेड पे 6600)	
(घ)	वेतन			4,625	
(ङ)	मूल पेंशन			लागू नहीं	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग			लागू नहीं	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			5334	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमहियों	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			11 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन			83,300	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			लागू नहीं	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन				
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)			लागू नहीं	
(ङ)	राशिकृत पेंशन			लागू नहीं	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय			लागू नहीं	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			24990	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०	2531 0	6550	90-91	उ०प्र०/ दिनांक	दिनांक
प्रतीतिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-					
1	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर				
2	श्रीमती निर्मला मित्तल पत्नी स्व० अमर नाथ वरिष्ठ लेखाधिकारी, पता म० न० 20, महालक्ष्मी इन्क्लेव मुजफ्फरनगर मुजफ्फर नगर सिटी उत्तर प्रदेश को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित पं० 1677 दि० के साक्ष्य प्रमाणित कर भुगतान प्राप्त करें।				
3	अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/प०/का०/लि०, शक्ति भवन, तखनक।				

27. 08. 19 लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11553

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

28.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री धर्मपाल सिंह

सेवानिवृत्त/
दिवंगत

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8829 दिनांक 30.10.2010
(ग)	जन्मतिथि	11.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राज्य श्री सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.05.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 58580
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17574

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

40 छमाहियाँ

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2541

11553

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपमुख्य लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, के०को हाउस, 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर।
2. श्री धर्मपाल सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-135, गिरजाबाग निकट छतरिया कुआ, उन्नाव।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषितपत्रांक 1673 दिनांक 30.08.19 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० बाबर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



उपभोग्यवार कारपोरेशन लि०

पेंशन/पारिवारिक पेंशन
पेंशन/पारिवारिक पेंशन
पेंशन/पारिवारिक पेंशन

पत्र सं०

9573

03-04

उम०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-28.07.2019

28.08.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, बहराईच।

नोट :- इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पी०पी०ओ० सं०-134 दि० 04.04.2019 को संशोधित करते हुए निर्गत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० राम बचन सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता लाल

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पेंशन/पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2994 दिनांक 29.01.2005
(ग)	जन्मतिथि	01.11.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.05.1949
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2003/27.12.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14800-18300/37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 18300
(ङ)	मूल पेंशन (8 प्रतिशत दण्ड दि० 02.3.2008 से लागू होने के उपरान्त)	₹ (23050-1383)=21667 w.e.f 02-03-2006
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ 3636
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18031
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका न० 12
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 87250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) (8 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त)	₹ ₹0 (87250-4035) ₹0 63215/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 59579 दि० 01.01.18 से दि० 27.12.2017 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40350 दि० 28.12.17 से अग्रेतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2546

9573

03-04

उम०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बहराईच।

2. श्रीमती बीमा श्रीवास्तव पत्नी स्व० राम बचन लाल, सेवानिवृत्त एवं दिवंगत अधिशासी अभियन्ता, पता-मोहल्ला अकबरपुर, आवास संख्या 71, कपूर थल्ला कोठी के पास, पोस्ट/जनपद बहराईच।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बहराईच। को प्रेषित पत्रांक 1678 दिनांक: 28.08.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

स० प्र० पा० का० लि०

प्रेषित भवन, लखनऊ



पत्र सं०

10597

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 29.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरोज खन्ना पत्नी स्व० रतन जी खन्ना	सेवानिवृत्त/दिवंगत	उपमहाप्रबन्धक	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3484	दिनांक	17.03.2006
(ग) जन्मतिथि			24.12.1972
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सरोज खन्ना
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			11.01.1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2005/29.04.2019
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400 (10000)
(घ) वेतन		₹	22400
(ङ) मूल पेंशन		₹	27350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	6270
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	21080
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	18410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,62,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	81150
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		₹	81150/-दि० 29.04.2019 तक
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	8270
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	74880 दि० 29.04.2019
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	48690/-दि० 30.04.2019 से
(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2549

10597

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अमियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती सरोज खन्ना पत्नी स्व० रतन जी खन्ना सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-बी-1/27, सेक्टर-के०, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ

को प्रेषितपत्रांक 1680 दिनांक 30.8.19 के सापेक्ष सम्पर्क

3

अधिसूची अमियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

फ़ैक्ट लि०, लखनऊ



पत्र सं०

9871

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 30.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2016 के अन्तर्गत

श्रीमती मंजू कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व० हरि ओम कुलश्रेष्ठ सेवानिवृत्त/ दिवंगत वरिष्ठ सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2649 दिनांक 10.06.2004
(ग)	जन्मतिथि	01.06.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू कुलश्रेष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.03.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-16300 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 16700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050 (05.07.16)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4934
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18118
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

65 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 64311
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 61550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ ₹ 64311/-दि० 20.07.2019 तक
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4934
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 59377
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ दि० 21.07.2019 से ₹ 39180/-अग्रेतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2552

9871

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती मंजू कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व० हरि ओम कुलश्रेष्ठ सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ता, पता-कै-809, सेक्टर-कै०, आशियाना कालोनी रोड, लखनऊ-226012।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषितपत्रांक 1681 दिनांक 06.15 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज महारात्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12930

12-13

उ०म०प्र०/

दिनांक ०२-०३-१९

३१.०३.१९

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आत्मा प्रसाद उपाध्याय

सेवानिवृत्त

अनुभाग अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5792	दिनांक 27.08.2012
(ग)	जन्मतिथि		10.06.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शीला उपाध्याय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	64090
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32045
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	12818
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19227
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32045 दि० 09.06.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19227
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,65,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	82700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	82700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12818
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	69882
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	82700 दि० 09.06.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2573 2565

12930

12-13

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री आत्मा प्रसाद उपाध्याय, अनुभाग अधिकारी सेवानिवृत्त, पता 283/97, गद्दी कनौरा, निकट अम्बेडकर पार्क, पो० मानक नगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 1684 दिनांक 02-03-19 के सापेक्ष समक

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

प्रतिष्ठित भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13953

16-17

उ०म०प्र०/

दिनांक- 02.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

कोषागार गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	सेवानिवृत्त
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7454 दिनांक 24.12.2018
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.06.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	14.05.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 56870
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28435
(ध)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11374
(फ)	राशिकरण के उपरान्त धटी पेंशन	₹ 17061
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	56 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11374
(च)	राशिकरण के बाद धटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 62426
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2567

13953

16-17

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

2. श्री अनिल कुमार गुप्ता, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता जे० 303, आग्रपाली जोडियेक, रोड-120, नोएडा (उ०प्र०)।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 1682 दिनांक 02-09-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

11442

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- ०२.०९.२०१९

कोषाधिकारी, कोषागार

एटा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धनपाल सिंह दिनकर	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	अधिशाली अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या		4419	दिनांक 24.04.2009
(ग) जन्मतिथि			01.01.1949
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती निर्मला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			05.07.1950
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2008
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ) वेतन		₹	56870
(ङ) मूल पेंशन		₹	28435
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	9970
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	18465
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	17061
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,47,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	73800
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	73800
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	9970
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	63830
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	44280
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2568

11442

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री धनपाल सिंह दिनकर सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता- म०नं० 155, सेक्टर-25, अम्बेडकर नगर, एटा।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार एटा को प्रेषितपत्रांक 1685 दिनांक 03.09.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश्वर (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

9276

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 03.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2016 के अन्तर्गत

श्री भूधर लाल

सेवानिवृत्त/
दिवंगत

माली

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1922 दिनांक 07.08.2002
(ग)	जन्मतिथि	02.06.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नन्ही देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.05.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600/9300-34800 (4200)
(घ)	वेतन	6800
(ङ)	मूल पेंशन	6481
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	1146 (पुनर्स्थापित 17.09.2017)
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	5335
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	4407
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	59 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	43,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	21950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	19622 (59 छमाहियाँ)
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	18400
(ग)/(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	19622
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	19622 (लामप्रद)
(ङ)	राशिकृत पेंशन	1146 (पुनर्स्थापित 17.09.2017)
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	18475/-दि० 01.01.16 से दि० 16.09.2017 तक तदुपरान्त रू० 19622/-प्र०मा०
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	13170
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2576

9276

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री भूधर लाल सेवानिवृत्त माली, पता-ई०एस०-प्रथम, 795 सेक्टर-ए०, सीतापुर रोड, अलीगंज महायोजना, लखनऊ।
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आदर्श, कोषागार को प्रेषितपत्रांक 1686 दिनांक 03-03-13 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

7870

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 03.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुन्दर लाल	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	537	दिनांक	29.09.1998
(ग) जन्मतिथि			15.06.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुतन लता अग्रवाल
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.04.1944
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ) वेतन	₹		20400
(ङ) मूल पेंशन	₹		27350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित दि० 29.12.2013
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27350
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,48,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		74250
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		74250
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		74250
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44550
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2578

7870

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित इस कार्यालय द्वारा निर्गत पुनरीक्षित पी०पी०ओ० 5761 दि० 05.01.2019 के अन्तर्गत कोई भुगतान न किया जाए।
- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत निगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री सुन्दर लाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-क०एल०-12, कवि नगर, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषितपत्रांक 1687 दिनांक 03.09.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

9970

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

०३.०९.२०१९

कोषाधिकारी, कोषागार

अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमलेशा गर्ग पत्नी स्व० ओम प्रकाश गर्ग सेवानिवृत्त/ दिवंगत उपमहाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2699 दिनांक 29.07.2004
(ग)	जन्मतिथि	08.02.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमलेशा गर्ग
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.08.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	17.05.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 21900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14849
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा	लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11. 04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2579

9970

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।
- श्रीमती विमलेशा गर्ग पत्नी स्व० ओम प्रकाश गर्ग सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-5/58, मित्रनगर अलीगढ़।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

अलीगढ़

को प्रेषित पत्रांक 1688 दिनांक 03-09-19 के सापेक्ष सम्पुर्ण

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मेहरोत्रा

स्वीकृत-लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 12875 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक: 03.09.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुमार बंसल

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6464 दिनांक 29.05.2014
(ग)	जन्मतिथि	10.06.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 60,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12140
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18210
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 160600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 80300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12140
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 68160
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2582

12875

12-13

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ
- श्री राकेश कुमार बंसल, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता 82 किरानपुरी, निकट देहली गेट, मेरठ
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कोषागार मेरठ
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 1689 दिनांक के सम्प्लेस सम्पर्क

03.09.19

मनोज महारा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० प० का 1 फ० 30
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

6654

1991-1992

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 03.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उरेन्द्र कुमार अग्रवाल	सेवानिवृत्त/दिवंगत	मुख्य अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9700	दिनांक 05.08.2014
(ग)	जन्मतिथि		28.05.1933
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती शीला अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		01.09.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.1991
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		6700-7500 / 21350-23975 / 63000-78000
(घ)	वेतन	₹	63000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37850
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	37800
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		62 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)		15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	80507
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से दि० 27.05.18 तक 20 प्रतिशत ₹ 17140/- तदुपरान्त ₹ 25710/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2583

6654

1991-1992

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
 2 श्री उरेन्द्र कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता- 47 हीराबाग कालोनी, दयाल बाग रोड, आगरा।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह
 स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक 1690 दिनांक

के सापेक्ष समर्क

03.09.19

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कोषागार वितरण नि०
 आगरा



पत्र सं० 8186 1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-०७.०७.२०१७ ०६.०९.२०१९
 कोषाधिकारी, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित पी०पी०आ० सं०-७८१२ दिनांक २६.०२.२०१९ को संशोधित करते हुए निर्गत।
 कोषागार, गाजियाबाद।
 विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-२३ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत
 श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

१. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०आ० संख्या	१०४५ दिनांक १९.०६.२०००
(ग)	जन्मतिथि	०९.०६.१९४१
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
२.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	३०.०६.१९९९
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	१८४००-२२४००/३७४००-६७००० ग्रेड पे-१००००
(घ)	वेतन	₹ १९९००
(ङ)	मूल पेंशन	₹ २७३५०
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ १५९००
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ ६६
३.	दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१८ के अनुसार)	तालिका न० १४
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ १,४८,५००
४.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ ७४२५०
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०५.२०१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक ०१.०१.२०१६ को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ ७४२५०
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ७४२५०
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

५. कारपोरेशन के आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-३९ दिनांक २३.१२.२०१६ के प्रस्तर-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-४ (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१६ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2600 8186 1999-2000 उ०म०प्र०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत् वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

२. श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-तृतीय-बी/७, नेहरू नगर, गाजियाबाद-२०१००१।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक १६९२ दिनांक १२.०९.१६ सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

३. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
 मनोज महेश्वरी
 लेखाधिकारी (पेंशन)
 उ०म० प्र० का० लि०
 शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 8306 99-2000 उ०प्र०प्र०/ दिनांक- 28.11.2019
 कोषाधिकारी, कोषागार इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पेंशन पुनरीक्षण प्राधिकार पत्र सं० 4424 दिनांक 07.12.2018 को संशोधित करते हुये
 कोषागार गाजियाबाद निर्गत
 विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम
 में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत
 श्री पवन कुमार सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीओओ संख्या	4869	दिनांक 29.04.2010
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रेम कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.12.1946
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29.02.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000	
(घ)	वेतन	₹	22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	162300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	61150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2631 8306 99-2000 उ०प्र०प्र०/ दिनांक- 11-09-2019
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
 2 श्री पवन कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), पता ए-15, अशोक नगर, गाजियाबाद
 को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 1633 दिनांक 13.09.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
 उ०प्र० पा० का० लि०
 शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11820

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 12.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजीपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राशिद	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4726	दिनांक 07.01.2010
(ग)	जन्मतिथि		08.09.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नसरीन मुमताज
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.07.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	62160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		68 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2010 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राक्कानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2635

11820

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजीपुर।
- श्री राशिद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मो० रजी अहमद, अकलपुरा (रजदेपुर देहाती), गाजीपुर उत्तर प्रदेश-233001, को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजीपुर को प्रेषित पत्रांक 1694 दिनांक 13.09.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक 12.09.2019
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०
गणित भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11975

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 13.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय पाल सिंह

सेवानिवृत्त/
दिवंगतअधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5743 दिनांक 12.07.2012
(ग)	जन्मतिथि	19.09.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती वीना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.10.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 71720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 2 प्रतिशत कटौती के उपरान्त ₹ 35143/- दि० 21.12.2011 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12183
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22960
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 2 प्रतिशत कटौती के उपरान्त दि० 21.12.2011 से अग्रतर ₹ 92218/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12183
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 80035
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राक्कानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2642

11975

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री विजय पाल सिंह, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता:-क०सी०-155 कनिनगर, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 1635 दिनांक 16.9.19 के सापेक्ष सम्पर्क

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
मनोज महारात्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म० प्र० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

9245

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 17.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० राम चन्द्र राठीर सेवानिवृत्त/ दिवंगत लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2088	दिनांक	19.12.2002
(ग)	जन्मतिथि			अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कालिन्दी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2002/30.11.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			14300-18300 (8700)
(घ)	वेतन	₹		16300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		7849
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०		
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2646

9245

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व० रामचन्द्र राठीर सेवानिवृत्त लेखाकार पता-एस०एस० 1/483 से०ए, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, बेहटा, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी लखनऊ आदर्श, कोषागार को प्रेषित पत्रांक 1696 दिनांक 18.9.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विभागाध्यक्ष, कोषागार (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

8537

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 20.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

रुड़की, उत्तराखण्ड

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्येन्द्र कुमार	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	अधीक्षण अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	1151	दिनांक	18.09.2000
(ग) जन्मतिथि			01.02.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पुष्पा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			18.12.1945
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			20.08.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			चौथा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ) वेतन		₹	20000
(ङ) मूल पेंशन		₹	10000
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	10000
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	6000
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियाँ 68
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 13
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		₹	89550
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	69550
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2662

8537

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित इस कार्यालय द्वारा निर्गत पुनरीक्षित पी०पी०ओ० 5781 दि० 05.01.2019 के अन्तर्गत कोई भुगतान न किया जाए।

2 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, रुड़की, उत्तराखण्ड।

3 श्री सत्येन्द्र कुमार, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता पता-211-पूर्व अम्बर तालाब, रुड़की-247667।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

रुड़की
उत्तराखण्ड

को प्रेषितपत्रांक 1698 दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क
20.9.19

4 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०करालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पा० करालि० लि०
शक्ति भवन लखनऊ



पत्र सं०

11954

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

20.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रवि कुमार सिंघल

सेवानिवृत्त/
दिवंगत

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4916 दिनांक 29.05.2010
(ग)	जन्मतिथि	18.02.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा सिंघल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 62160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2661

11954

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री रवि कुमार सिंघल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-3/15 सेक्टर-5, निकट मंदर डेरी, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 1697 दिनांक 20.9.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)उ० म० प्र० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

8588

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 20.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम देव गुप्ता	सेवानिवृत्त / दिवंगत	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	1613	दिनांक	19.11.2001
(ग) जन्मतिथि			20.10.1942
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सरोज गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			04.07.1948
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-20000/37400-67000 (8900)
(घ) वेतन		₹	19100
(ङ) मूल पेंशन		₹	24295
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	2955
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	21340
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,35,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	67500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)		₹	1 प्रतिशत दण्ड के बाद 66825 दि० 30.08.2019 से
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	2955
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	₹ 63870/-दि० 30.08.2019 से
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	40500
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2666

8588

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणींचल विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।

2. श्री राम देव गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 13-ए०-104, नेहरू नगर, गाजियाबाद।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 1705 दिनांक 21.03.19 के सापेक्ष सम्पूर्ण

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

10428

2005-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 20-9-2019

कोषाधिकारी, कोषागार

वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2016 के अन्तर्गत

श्री युगल किशोर सिंह	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	महाप्रबन्धक	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3246	दिनांक	22.09.05
(ग) जन्मतिथि			15.07.47
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुर्मिला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ) वेतन			22400
(ङ) मूल पेंशन			27350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग			4144
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन			23206
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर			16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियां
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन			162,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार			61150
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन			लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन			लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन			लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)			81150
(ङ) राशिकृत पेंशन			4144
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें			77006
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)			लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)			48890
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2668

10428

2005-2008

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 20/9/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
- श्री युगल किशोर सिंह, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-मं० न०-एन-8/238 के-50(प्लॉट नं० 50) गणेश घाट कालोनी नैवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषितपत्रांक 1699 दिनांक 20-9-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, राशिक मवन, लखनऊ /

लेखाधिकारी (पेंशन)
संशोधित पेंशन का भुगतान
श्री युगल किशोर सिंह



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो संचार सेवा संपत्ति)

उपग्रो संचार सेवा संपत्ति लि०

उपग्रो संचार सेवा संपत्ति लि०

उपग्रो संचार सेवा संपत्ति लि०

पत्र सं०

13285

13-14

उपग्रो/

दिनांक- 21.08.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.08.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लक्ष्मी नारायण

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	6384	दिनांक 13.02.2014
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उमा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.01.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹	56870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	13345
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5338
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	8007
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8007
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियों	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	147600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5338
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	68462
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2676

13285

13-14

उपग्रो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री लक्ष्मी नारायण, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ग्राम रामपुर नया गोंद, पत्रालय गोरखपुर, जनपद गोरखपुर (उपग्रो)।
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 770 दिनांक 23.9.19 के सम्प्रेष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



संयुक्त पारिवारिक पेंशन लिमिटेड

Joint Family Pension Limited

Joint Family Pension Limited

Joint Family Pension Limited

Joint Family Pension Limited

पत्र सं०

13344

2013-2014

उममप्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 21.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

जौनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम विनय मिश्रा

सेवानिवृत्त/
दिवंगत

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्शता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6597 दिनांक 27.09.2014
(ग)	जन्मतिथि	06.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मिथिलेश उर्फ माधुरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.10.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 69960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13982
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20988
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 34980/- दि० 05.07.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20988
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,81,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ 90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13982
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 76758
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 90750/- दि० 05.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राक्धानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2677

13344

2013-2014

उममप्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण नियम लि०, जौनपुर।

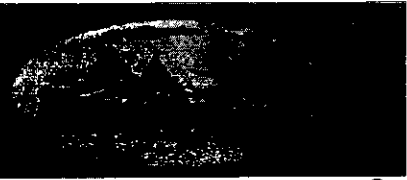
2. श्री राम विनय मिश्रा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- मकान नं०-1078 बैकर्स कालोनी उमरपुर, परमानपुर, जौनपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर को प्रेषित पत्रांक 1702 दिनांक 24.9.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उममप्र०/का०/लि०, रावत भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

महोदय,
कोषाधिकारी, कोषागार,
जौनपुर।
दिनांक 24.9.19



दिनांक: २५.९.२०१९

श्रीमती शशि सक्सेना पत्नी स्व० रंजन सक्सेना सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

		पारिश पेंशन	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	6247	दिनांक 01-10-2013
(ग)	जन्मतिथि		लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशि सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.07.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	74,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		37000 दिनांक 05.08.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22200 /-
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	193800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	96900 दिनांक 05.08.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140 दिनांक 06.08.2018 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक—

को प्रेषित पत्रांक 703 दिनांक 24.9.2019 के सापेक्ष सम्यक

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, ज०प्र०पाठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

खिलाफत लखनऊ
लखनऊ (पेंशन)

श्री १०० पाठ्य कार्यालय लि०
श्री १०० भवन, लखनऊ



पत्र सं०

12037

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 24-09-2019

कोषाधिकारी, कोषागार

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी स्व० राघव प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त/ दिवंगत अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6271	दिनांक 23.10.2013
(ग)	जन्मतिथि		10.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ऊषा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.05.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009/22.04.2019
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	65630
(ङ)	मूल पेंशन 5 प्रतिशत दण्ड के बाद	₹	31175
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10805
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20370
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19689
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	61795 दि० 22.04.2019 तक
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10805
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70990 दि० 22.04.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51680 दि० 23.04.2019 से अग्रेतर
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का मुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

पत्र सं०

2696

12037

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 24/09/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी स्व० राघव प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता- जे-11/117,ई-11, नई बस्ती, इश्वरगंगी, वाराणसी (उ०प्र०)।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 1706 दिनांक 24.9.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पाठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मेहरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पाठकालि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

8021

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-25-9-19

कोषाधिकारी, कोषागार

कार्यालय वेतन एवं लेखा उत्तराखण्ड द्वारा कार्यालय रेजीडेंट कमिश्नर प्लाट नं० 9 कोटला रोड द्वितीय तल, राजज ऐवन्यू महालेखाकार भवन के पीछे न्यू दिल्ली-110002

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र सं० 1396 दिनांक 09.05.2019 को संशोधित करते हुये निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2016 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश कम्बोज	सेवानिवृत्त / दिवंगत	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	857	दिनांक	19.11.1999
(ग) जन्मतिथि			18.07.1941
(घ) पारिवारिक पेंशन का नाम			श्रीमती सुशीला कम्बोज
(ङ) पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि			15.06.1943
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1999
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			14300-400-18300
(घ) वेतन		₹	16700
(ङ) मूल पेंशन		₹	8190
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	3276
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	4914
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	4914
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			68 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,30,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	65300
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	65300
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	3276
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹	62024
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	39180
(ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राक्धानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2697

8021

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिक्षण अभियन्ता, जल विद्युत परिकल्प मण्डल-द्वितीय, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद गंगा भवन, यमुना कालोनी, देहरादून।

2 श्री ओम प्रकाश कम्बोज, सहायक अभियन्ता, पता :- 23 महन्त रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून-248001

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

वित्त अधिकारी

देहरादून

को प्रेषितपत्रांक 1705 दिनांक 21.9.19 के साथ संपर्क

3 अधिक्षाती अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मेहरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० प्र० का० लि०
देहरादून



पत्र सं०

7492

1996-1997

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 25-09-2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जहान आरा बेगम पत्नी स्व० फजलुल हक सेवानिवृत्त/ दिवंगत सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	703 दिनांक 03.04.1999
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जहान आरा बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.07.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1996/12.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000
(घ)	वेतन	₹ 16400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2698

7492

1996-1997

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 25/09/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अमियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्रीमती जहान आरा बेगम पत्नी स्व० फजलुल हक सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता- सूफी हाता (घोसीपुर), तिवारीपुर, गोरखपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक/704

दिनांक

के सापेक्ष सम्पक

25-09-2019

3

अधिसूची अमियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

निम्नलिखित पेंशन
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11728

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 26.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अजय कुमार त्रिपाठी	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	अधिरासी अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5232	दिनांक	08.04.2011	
(ग) जन्मतिथि			04.08.1949	
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शशि प्रभा त्रिपाठी	
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08.07.1956	
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2009	
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान	
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)	
(घ) वेतन		₹	71720	
(ङ) मूल पेंशन		₹	35860	
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	12432	
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	23428	
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं	
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	18648	
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०	
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,88,200	
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	94100	
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं	
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं	
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं	
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)		₹	94100	
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	12432	
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	81668	
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं	
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	56460	
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राकथानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2700

11728

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री अजय कुमार त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-सी-13, अरावली मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226018

को इस आशयसे प्रेषित कि वह
स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

कोषाधिकारी

लखनऊ

आदर्श, कोषागार को प्रेषित पत्रांक 1707 दिनांक 28.9.19 के सापेक्ष सम्पन्न

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

14165

2017-2018

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 26.09.2019

कोषाधिकारी,

लेखाधिकारी (को एवं लेखा) द्वारा कारपोरेशन के आदेश सं०-48 दि० 15.01.2018 के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्गत वेतन प्राधिकार पत्र सं०-8919 दि० 20.09.2018 के अनुपालन में

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उमेश नारायण तिवारी

सेवानिवृत्त/
दिवंगतसहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7269	दिनांक 27.07.2017
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीरा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.07.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15800-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹	37060
(ङ)	मूल पेंशन	₹	17930
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7172
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	10758
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 17930/- दि० 29.06.2022 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10758 तदुपरान्त
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)		11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	96,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	48300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	46300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7172
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	41126 दि० 15.01.2016 से
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	48300 दि० 29.06.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	तदुपरान्त ₹ 28980/-
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अगु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2018 में प्राक्धानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2704

14165

2017-2018

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री उमेश नारायण तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-म० नं०-डी-43, सर्वोदय नगर, पोस्ट-सर्वोदय नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषितपत्रांक 1708 दिनांक 28.9.18 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मन्सुज
स्थायी लेखाधिकारी (पेंशन) एवं
उ० प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

11449

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 26.09.2019

कोषाधिकारी, कोषागार

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार भाटिया	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	सहायक अभियन्ता,	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4426	दिनांक 28.04.2009
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती संतोष कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	60340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहिया
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राकथानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2707

11449

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणींचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
- श्री अशोक कुमार भाटिया, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ई०५४, सेक्टर-27, इन्द्रा मार्केट के निकट, नोएडा, जिला, गौतमबुद्धनगर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 1709 दिनांक 28.9.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

निर्देशाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कारपोरेशन लि०
भक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 11283 2007-2008 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 26.09.2019
कोषाधिकारी, कोषागार
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती चन्दा बेगम पत्नी स्व० मंजूर हसन खान	सेवानिवृत्त/दिवंगत	अधिराशी अभियन्ता,	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2718	दिनांक 28.10.2009
(ग)	जन्मतिथि		लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चन्दा बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.07.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.09.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	65630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19689
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राक्कानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 2708 11283 2007-2008 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिराशी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, प्रतापगढ़।
- श्रीमती चन्दा बेगम पत्नी स्व० मंजूर हसन खान सेवानिवृत्त अधिराशी अभियन्ता, पता-474/228/018, इरादत नगर, सीतापुर रोड, शिया पी जी कालेज के सामने, निराला नगर, लखनऊ-226020
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 710 दिनांक 28.9.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

जिसलेखी लखनऊ
लेखाधिकारी (पेंशन)
सं० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
आशुतोष मुखर्जी, लखनऊ



पत्र सं०

7887

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 28-09-2018

कोषाधिकारी,

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र सं०-4631 दिनांक 11.12.2016 को संशोधित करते हुए निर्गत

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र रस्तोगी	सेवानिवृत्त/ दिवंगत	अधीक्षण अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	530	दिनांक	17.09.1988
(ग) जन्मतिथि			15.06.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती विजय लक्ष्मी रस्तोगी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			22.12.1942
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पँचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ) वेतन		₹	20900
(ङ) मूल पेंशन		₹	27350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	पुनर्स्थापित 02.11.2013
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	44550
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,53,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	76500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	76500
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	45900
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कारपोरेशन के आदेश सं० 851 दिनांक 15.07.2019 में प्राक्कानित व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2713

7887

98-99

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री सुरेश चन्द्र रस्तोगी, अधीक्षण अभियन्ता, पता-19/760, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषितपत्रांक 701 दिनांक 28-9-18 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विनयेस कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०म०प्र० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ